9. छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल के आदेश क्रमांक 46/2015 दिनांक 14.01.2015 एवं मण्डल आदेश क्र. 151 दिनांक 11.12.2017 के अनुसार मण्डल के संपत्तियों के विक्रय हेतु प्राप्त ऑफर के परीक्षण करने/आबंटित भवनों के आबंटन के आदेश निरस्तीकरण को पुर्नजीवित करने/भवन क्रमांक परिवर्तन करने आदि प्रकरणों की जांच परीक्षण हेतु गठित समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही सुनिश्चित किया जायेगा ।

कृपया उपरोक्त दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए ।

(आदेशानुसार)

मुख्य संपदा अधिकारी
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल
मुख्यालय,पर्यावास भवन,नवा रायपुर
अटल नगर जिला रायपुर
19.08.20

पृ.क्र.1528/सं.प्र.शा./मु.स.अ./मुख्या./2020
नवा रायपुर, दिनांक 19/08/2020

प्रतिलिपिः–

1. स्टॉफ ऑफिसर, आयुक्त महोदय, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, नवा रायपुर अटल नगर की ओर सूचनार्थ ।
2. अपर आयुक्त, (जे./व्ही./पी.) छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, नवा रायपुर अटल नगर की ओर सूचनार्थ ।
3. उपायुक्त, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, वृत्त–रायपुर/नवा रायपुर अटल नगर/दुर्ग/बिलासपुर/अंबिकापुर की ओर सूचनार्थ ।
4. मुख्यलेखा अधिकारी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, नवा रायपुर अटल नगर की ओर सूचनार्थ ।
5. प्रशासकीय अधिकारी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, नवा रायपुर अटल नगर की ओर सूचनार्थ ।
6. कार्यपालन अभियंता, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, समस्त की ओर सूचनार्थ ।
7. संपदा अधिकारी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, संपदा प्रबंधन समस्त प्रक्षेत्र की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
8. आदेश नस्ती/गार्ड फाईल ।

मुख्य संपदा अधिकारी
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल
मुख्यालय,पर्यावास भवन,नवा रायपुर
अटल नगर जिला रायपुर
19.08.20

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल

मुख्यालय पर्यावास भवन नॉर्थ ब्लॉक,
सेक्टर–19 नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)
Ph.No.0771-2512141, ceocghb@gmail.com website-www.cghb.gov.in

परिपत्र

कमांक 22 दिनांक 19/8/2020

विषयः– छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल के समस्त प्रक्षेत्र कार्यालय अंतर्गत आबंटित भवनों का भवन क./तल/सेक्टर परिवर्तन करने के संबंध में दिशा निर्देश।

–000–

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल के समस्त प्रक्षेत्र कार्यालय अंतर्गत आबंटित भवनों के क./तल/सेक्टर परिवर्तन हेतु प्राप्त आवेदनों का सुगमता पूर्वक निराकरण हेतु निम्नानुसार दिशा निर्देश प्रसारित किये जाते है ।

1. बैंक से ऋण लेकर मकान खरीदा गया है तो आवेदन पत्र के साथ बैंक का एन.ओ.सी. प्रमाण पत्र संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा ।
2. परिवार का कोई सदस्य बुर्जुग हो जिसके कारण भवन क./तल/सेक्टर परिवर्तन कराना चाह रहा है तो उस बुर्जुग सदस्य का आधार कार्ड संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा ।
3. सीढ़ी चढ़ने में परेशानी या कोई और कारण दर्शाता हो जिसके कारण भवन क./तल/सेक्टर परिवर्तन कराना चाह रहा है तो आवेदन के साथ मेडिकल सर्टीफिकिट संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा ।
4. आपसी सहमती पर भवन परिवर्तन के प्रकरण में आपसी सहमति प्रमाण पत्र संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा ।
5. आबंटित भवन का निर्माण रोकने अथवा आधिपत्य विलंब होने के कारण भवन कमांक परिवर्तन हेतु प्राप्त आवेदन के सर्मथन में परियोजना अभियंता का प्रमाण पत्र संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा ।
6. मण्डल द्वारा निर्माण कार्य में विलंब होने के कारण या अन्य किसी कारणवंश त्रुटि तथा मण्डल साफ्टवेयर में प्रविष्टी में कोई त्रुटि होने के कारण भवन परिवर्तन के संबंध में स्पष्ट लेख संपदा अधिकारी कार्यालय/कार्यपालन अभियंता के अभिमत अंकित करना होगा ।
7. यदि परिवर्तन हेतु आवेदित भवन निरस्तीकरण के पश्चात् रिक्त हुआ है तो भवन निरस्तीकरण के संबंध में दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे ।
8. भवन रिक्तता की स्थिति में मण्डल के आदेश क्रमांक 06 दिनांक 27.08.2009 अनुसार परिवर्तन हेतु शुल्क निर्धारित किये गये है जो यथावत् रहेगी ।

क्रमशः–2–